

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1720
उत्तर देने की तारीख 15 मार्च, 2023
बुधवार, 24 फाल्गुन, 1944 (शक)

कौशल विकास के क्षेत्र में बालिकाओं की दक्षता को बढ़ाया जाना

1720 श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में बालिकाओं की कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा सहित देश भर में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिकाओं की संख्या का जिला-वार ब्योरा क्या है; और
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा सहित देश भर में इन कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित कितनी बालिकाएं रोजगार प्राप्त करने में सफल रही हैं, तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कुशल भारत मिशन के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत पूरे देश में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बालिकाओं सहित समाज के सभी वर्गों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक मांग-संचालित स्कीम है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य गैर-साक्षरों, नव-साक्षरों और 8वीं कक्षा तक शिक्षा के प्रारंभिक स्तर वाले व्यक्तियों और 15-45 वर्ष के आयु-वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को, "दिव्यांगजन" और अन्य पात्र मामलों में उचित छूट के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता

प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की संबद्धता बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्य के दौरान कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) : यह स्कीम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से पूरे देश में दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करने वाले व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएमकेवीवाई, एनएपीएस, जेएसएस और सीटीएस के तहत प्रशिक्षित बालिकाओं की जिला-वार संख्या क्रमशः **अनुबंध-I, अनुबंध-II, अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** पर दी गई है। चूंकि उक्त अनुबंधों में विवरण बहुत विस्तृत है, यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक <https://www.msde.gov.in/en/useful-links/parl-ques/rajya-sabha> पर उपलब्ध है।

(ग) एमएसडीई की स्कीमों में, पीएमकेवीवाई के तहत नियोजन को विशेष रूप से ट्रैक किया जाता है। पीएमकेवीवाई के तहत पिछले तीन वर्षों (2019-20, 2020-21 और 2021-22) के दौरान देश भर में कुल 5,07,590 महिलाओं को नियोजित किया गया है, जिनमें से 18,874 हरियाणा राज्य से हैं। जहां तक एमएसडीई की अन्य स्कीमों का संबंध है, तृतीय पक्ष की मूल्यांकन रिपोर्ट में नियोजन के संदर्भ में सफलता या प्रशिक्षित उम्मीदवारों की आय में वृद्धि के बारे में उल्लेख किया गया है। जहां तक जेएसएस स्कीम के लाभार्थियों के रोजगार का प्रश्न है, स्कीम की तृतीय पक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया है कि जेएसएस में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव के रूप में, स्व और मजदूरी रोजगार और निजी जॉब संभव हो पाई हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि स्कीम की उपयोगिता इस तथ्य से और स्पष्ट होती है कि लाभार्थी प्रशिक्षुओं में से 77.05% ने व्यावसायिक बदलाव किए हैं। आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट (कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में प्रकाशित) में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्ण करने वालों में से 63.5% को रोजगार मिला है (वेतन + स्वयं, जिनमें से 6.7% स्व-नियोजित हैं)।
